उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

15.1.21 पत्रावली पेश। वकील वादीगण उपस्थित है। बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का कथन है, कि एक ही भूमि के तीन प्रकरण पृथक-पृथक वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्न है (1) प्रकरण सं. 157/2020, सुरताराम / सरकार (2) प्रकरण सं. 155/2020 बालचंद / सरकार (3) प्रकरण सं. 154/2020 रामेश्वर / सरकार उक्त प्रकरण साबिक खसरा नम्बर 500 रकबा 25।।।।4 से संबंधित है उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 521 व 522 समभाग में तीनों वादियों के नाम पृथक-पृथक दर्ज है अनुतोष भी समान ही है हमनें तीनों प्रकरणों का अवलोकन कर एक साथ बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण का कथन है, कि प्रतिवादी को अपने जवाब में वादीगण के वादपत्रों को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है। वादीगण को पूर्व में ही खातेदारी हक दिये जा चुके हैं, किन्तु रिकार्ड में पुनः माफी दूध पिलाई का अंकन कर दिया है, जिसे हटाया जावे। सेग्रीगेशन के दौरान थड़ा शब्द जोड़ दिया है, उसे भी हटाया जावे। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	-क्रमशः-

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। तीनों वादीगण द्वारा पृथक पृथक वादपत्र प्रस्तुत किये हैं। उक्त तीनों वादीगण ग्राम देवलीखुर्द की भूमि साबिक खसरा नम्बर 500 रकबा 25।।।।4 के पूर्व खातेदार किशनलाल पुत्र चम्पा धाकड़ के पुत्र हैं, जिनके नाम उक्त भूमि के साबिक के मुकाबले हाल खसरा नम्बर समभाग में पृथक-पृथक दर्ज हैं। अनुतोष भी एक ही है अतः मिसल नम्बर 154/20, 155/20 तथा 157/20 का विनिश्चय एक ही निर्णय से किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण द्वारा वादपत्र के कथन, अंकित तथ्य, वांछित अनुतोष, जवाब सरकार एवं वादीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यादि दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया। अपने कथनों के समर्थन में वादीगण द्वारा नकल जमाबंदी ग्राम देवली खुर्द सं० 2021-24 खाता नम्बर 205, नकल फर्द मिलान सन् 2004-24, नकल जमाबंदी ग्राम देवलीखुर्द 2025-28 खाता नं० 210, नकल जमाबंदी ग्राम देवली खुर्द सं. 2029-32 खाता नम्बर 210, नकल जमाबंदी ग्राम देवलीखुर्द उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	क्रमशः-

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सं० 2033-36 खाता नं० 330, नकल जमाबंदी देवलीखुर्द 2036-40 खाता नं० 330, नकल जमाबंदी ग्राम देवलीखुर्द सं. 2054-2057 खाता नं. 367, नकल जमाबंदी बन्दोबस्त संवत/सन 2004-24 खाता नम्बर 370, नकल जमाबंदी बन्दोबस्त ग्राम देवलीखुर्द सं. 2014-33 खाता नं. 183, हाल नकल जमाबंदी ग्राम देवलीखुर्द 2071-74 खाता नम्बर 556, खाता नं० 555, खाता नं. 554, तथा नकल नामान्तरकरण ग्राम देवलीखुर्द नं० 59 दि. 19-12-62, प्रस्तुत किये गये।

जमाबंदी सं. 2021-24 की जमाबंदी खा. नं. 205 पर जरिये नामान्तरकरण नम्बर 59 से पूर्व खातेदार किशनलाल पुत्र चम्पा को धारा 19 R.T. Act के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है, किन्तु माफी दूध पिलाई के रिज्यूम्ड हो जाने के उपरान्त भी उक्त भूमि पर पुनः उसी माफी का अंकन किया गया जो लेखकीय त्रुटि प्रतीत होता है।

संवत 2054-57 की जमाबंदी में पूर्व खातेदार की विरासत के आधार पर बालचंद, सुवाराम, भैरूलाल का नाम दर्ज किया गया। फर्द मिलान के आधार पर प्रमाणित होता।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

-क्रमशः-

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है, कि साबिक खसरा नम्बर 500 के हाल खसरा नम्बर $\frac{751}{0.01}$ व $\frac{752}{4.19}$ हेक्टर पैमूद किये गये, जो हालिया बन्दोबस्त जमाबंदी अवधि 2004-24 के खाता नम्बर 370 में तीनों वादीगण के नाम पर दर्ज रिकार्ड है।

कालान्तर में ख. नं. 752 के तीन भाग किये जाकर जमाबंदी संवत 2071-74 के खाता नम्बर 554, 555, व 556 के अनुसार तीनों वादीगण के नाम पर उक्त खाता नम्बर के तीन भाग किये जाकर दर्ज कर दिये है।

नामान्तरकरण सं. 59 से वादीगण के पिता को खातेदारी स्वत्व प्रदान किये जा चुके थे, तथा माफी रिज्यूम्ड हो चुकी थी, ऐसी सूरत में वादीगण के नाम दर्ज भूमि पर माफी रिज्यूम्ड या माफी दूध पिलाई का अंकन त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है साथ ही साथ हालिया जमाबंदी में अतिरिक्त अंकन "मंडा" का अंकन भी हटाया जाना उचित है।

अतः गुणावगुण के आधार पर तीनों वाद स्वीकार किये जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि ग्राम देवलीखुर्द की

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

-क्रमशः-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकार ... हुक्म ... में
	भूमि दान ख० नं० 1515/752 रकबा 1.40 है. 1513/752 रकबा 1.39 है., 751 रकबा 0.01 है. व 1514/752 रकबा 1.40 है० पर से माफी दूध पिलाई का अंकन हटाया जाता है। साथ ही साथ "पड़ा" शब्द विलोपित किया जाता है। तदनुसार डिक्री मुताबिक रिकार्ड में अमल हो।	
	पत्रावली मौसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय की एक-एक प्रतियाँ तीनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।	
	निर्णय आज दिनांक 15/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।	
	(देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

Judl/Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~[struck]~~

(आर्डर 20, रूल 6–7, ज़ाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी (I.A.S.) — मुकाम — रामगंजमण्डी

व इजलास — देवल-दान

सुरताराम बनाम सरकार, बालचंद बनाम सरकार, रामरतन बनाम सरकार

2020/00286, 2020/00285, 2020/00284 — दावा बाबत — 88-89-188 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. — 154, 155, 157 — सन् — 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू — मुझ देवलदान (I.A.S.)

बहाजरी — श्री घनश्याम धाकड़ एड. — मिनजानिब मुद्दई व — पैरोकार सरकार

— मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

तीनों वाद वादीगण स्वीकार किये जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम देवलीखुर्द की भूमि ख० नं० हाल 1515/752 रकबा 1.40 हे०, 1513/752 रकबा 1.39 व 751 रकबा 0.01 हे० तथा 1514/752 रकबा 1.40 हे० पर से "माफी दूध पिलाई" का अंकन हटाया जाता है साथ ही साथ "थड़ा" शब्द विलोपित किया जाता है राजस्व रिकार्ड में अमल हो

बीज — X — मुबालिग — X — बाबत — X

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — X — फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — X — को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 15 — माह — 01 — 2021

को जारी की गई।

दस्तखत — [signature] उपखण्ड अधिकारी
ओहदा — रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान	—	—
मीजान	—	—			

नोट—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकार अपना-अपना वहन करें।

रा. मु. मु. 136-2006-1,00,000 फार्म

[signature] उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी